ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 62-65

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

आतंकवाद और धर्म

डॉ0 आशुतोष कुमार

राजनीति विज्ञान (उ0प्र0) भारत

Received-08.07.2022, Revised-15.07.2022, Accepted-20.07.2022 E-mail:singhashu161361@gmail.com

सारांशः – *प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषय के परस्पर विरोधी दो भाग हैं– आतंकवाद तथा धर्म। अतः इन पर पृथक–पृथक विचार करना ही समीचीन होगा। यदि आधुनिक बीसवीं सदी के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि इसने सम्पूर्ण विश्व–मानवता को दो विस्मयकारी देन दी है– प्रथमार्ध में दो विश्व–युद्धों की विभीषिका तथा उत्तरार्द्ध में और इक्कसवीं सदी में आतंकवाद। वस्तुतः, आतंकवाद के रूप में तो दृष्य–अदृष्य छाया–युद्धों की अंतहीन श्रृंखला ही बनती जा रही है। प्रो0 यशपाल ने सत्य ही कहा है कि "आज सम्पूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रस्त है ..... इसका खतरा और बढ़ेगा; क्योंकि हमने तकनीकी का इस्तेमाल मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जाग्रत और दिलों के फासलों को दूर करने के बजाय भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए किया है। यही वजह है कि नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है .....।" परिणामस्वरूप अनेकानेक झंझावातों से जूझते हुए विश्व के अविकसित तथा विकासशील राज्य ही नहीं, अपितु विकसित एवं समृद्धशाली राज्य भी आतंकवाद के शिकार हैं; महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में आतंकवाद का वैश्वीकरण हो गया है और इस दावानल के रूकने की कोई आशा भी नहीं लग रही है।*

कुंजीभूत शब्द–प्रतिपाद्य, सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद, विभीषिका, मानवता, मजहबी, अविकसित, विकासशील।

आतंकवाद क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में यह आतंकवाद ऐसा नवीन शब्द है, जिसकी कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा, स्वरूप, प्रकार एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वीकृत नहीं है। सामान्यतया किसी भी राज्य की स्थापित वैध सत्ता तथा व्यवस्था के विरूद्ध हिंसात्मक क्रिया–कलाप को आतंकवाद कहा जाता है; क्योंकि कोई भी वैध राजनीतिक व्यवस्था हिंसात्मक हस्तक्षेप को मान्यता नहीं दे सकती है। दूसरे, यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आतंकवाद की अवधारणा, अर्थ, स्वरूप, कार्य–शैली, रणनीति, षक्ति–परिधि देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरणार्थ–किसी राजनीतिक व्यवस्था की दृश्टि में समाज–विरोधी, शान्ति के शत्रु, हिंसात्मक क्रिया–कलापों में लिप्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह आतंकवादी है, तो वही कतिपय अन्य लोगों को जननायक, 'स्वतंत्रता का अलख जगाने वाला', 'हीरो' भी हो सकता है। जैसे सत्रहवीं सदी में भारतीय मुगल–सत्ता शिवाजी एवं मराठों को पहाड़ी चूहा, छापामार आतंकवादी कहा करती थी, तो वे ही भारतीय राष्ट्रीयता के वाहक भी स्वीकार किए गए हैं। यही दशा विश्व–राजनीति में लेनिन, ट्राटस्की, माऊ–त्से तुंग, होचिन्हमिनह, कास्त्रों आदि की भी है।

ऐसी स्थिति हमें सर्वप्रथम आतंकवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करते हुए उसका स्पष्ट अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, प्रभाव आदि को सुनिश्चित करना अनिवार्य प्रतीत होता है।

आतंकवाद की ऐतिहासिकता–यदि सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाय तो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से, कम से कम सिद्धान्ततः परिस्थिति विशेष में आतंकवाद का पोषण प्राचीन भारतीय युग से ही चला आ रहा है। प्राचीन भारत में राजा को निरन्तर 'विजिगीशु' बने रहने का उपदेश देते हुए आचार्य कौटिल्य ने 'कूटयुद्ध' तथा तुष्णीयुद्ध का भी आश्रय लेने को निर्देशित किया है।[1] इसी प्रकार से पन्द्रहवीं सदी के अन्त तथा सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में इटैलियन विचारक निकोलस मैकियावेली ने भी अपने 'प्रिंस' को उपदेशित किया है।[2] पुनः वैचारिक रूप से जर्मन उग्र प्रत्ययवादी विचारक हींगेल ने भी 1810 में कहा है कि "राज्यों के मध्य सम्बन्ध सापेक्षिक रूप से विधिक की अपेक्षा प्राकृतिक ही होते हैं; क्योंकि राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में हिंसक हैं..... स्वयं व्यवहार में, परस्पर एक–दूसरे पर युद्ध थोपते रहते हैं..... और किसी राष्ट्र के सुदृढ़ स्वास्थ्य के लिए युद्ध ही प्रतीक होते हैं .....।[3] पुनःश्च कार्ल मार्क्स ने परिवर्तन हेतु क्रान्ति की अनिवार्यता को सुनिश्चित कर आतंकवाद का वैचारिक रूप से ही पोषण किया है। अतः स्पष्ट है कि आतंकवाद का पोषण चिरकाल से होता रहा है।

वर्तमान समय में आतंकवाद–वर्तमान समय में आतंकवाद अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। मुख्यतया इन्हें निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है–

(क) आतंकवाद उच्च वैचारिक रूप से प्रेरित है। यह जर्मन राज्य के आतंकवादी गुटों, इटली के आतंकवादी गुटों, इस्लामिक कठमुल्लापन तथा हिन्दू कट्टरवादी विचारों के रूप में दर्शनीय है।

(ख) द्वितीयतः, आतंकवाद, वर्तमान समय में, कतिपय राज्यों में स्वतंत्रता की मांग तथा स्वतंत्रता–आन्दोलन के रूप में भी द्रष्टव्य

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

है– उत्तरी आयरलैण्ड की आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, कुर्दो तथा तमिलों के संघर्ष आदि इसी श्रेणी के आतंकवाद है।

(ग) आत्मनिर्णय के सिद्धान्त तथा मानव अधिकारों की ओट में भी आतंकवाद का प्रचलन है– दक्षिण अफ्रीका संगठन, फिलीस्तीन मुक्ति संगठन आदि इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राजनीतिक–आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु संगठित, प्रेरित, स्थापित एवं संरक्षित आतंकवाद भी है–ईरान–इराक द्वारा प्रेरित आतंकवाद, अफगानिस्तान तथा जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद भी द्रष्टव्य है, जिसमें 1980 में अमेरिकी राजनयिकों को बंदी बनाया गया था तथा इण्डियन एअर लाइन्स के हवाई जहाज के अपहरणकर्ता अजहर मसूद जैसे लोगों को मुक्त कराकर संरक्षण दिया गया है।

आतंकवाद के कारण–यद्यपि आतंकवाद के कारणों की सटीक पहचान करना कठिन है, तथापि ऐसी कतिपय परिस्थितियों का अन्वेषण किया जा सकता है, जिनसे आतंकवाद संगठित तथा प्रोत्साहित होता है:–

इस संदर्भ में, प्रथम कारक, कतिपय राज्यों की कठोर एवं सर्वाधिकारवादी संरचना है। द्वितीयतः, अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों में विभिन्न सत्ता–केन्द्रों का विखण्डन है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय दो स्पष्ट सत्ता केन्द्रों में विभक्त नहीं है, जो अलगाववादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सके। सोवियत संघ के विखराव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में विभिन्न सत्ता–केन्द्र हो गए हैं और ये केन्द्र अन्य राज्यों के आतंकवाद को अस्त्र–शस्त्रों तथा आर्थिक सहायता करते रहते हैं।

इसी संदर्भ में यह भी एक कारक उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के शक्तिशाली राज्य, विशेषतः अमेरिका, बृहत्तर न्याय के लिए किए गए अनुरोधों के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में डॉ0 एन अलेक्जेण्डर, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद संस्थान के निदेशक ने कहा है कि "आतंकवाद को आपराधिक कार्य के रूप में संज्ञापित करने में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की असफलता के कारण पिछले दो दशकों में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला है।[4] अन्त में, अस्त्र–शस्त्रों की तकनीकी प्रगति ने भी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में महान योगदान किया है। रसायनिक, जैविक अस्त्र–शस्त्र विशेष रूप से, उल्लेखनीय है। एंथ्रेक्स की पुष्टि की घटनाएं, जिसे 'बायो टेररिज्म' कहते हैं। स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही साथ, मानव–अधिकार सिद्धान्त आत्म निर्णय का सिद्धान्त तथा पृथक राष्ट्रीय पहचान की उग्रभावनाओं ने भी आतंकवाद की वृद्धि की है। यही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कतपय राज्य, निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर भी आतंकवाद को प्रोत्साहित ही नहीं करते, वरन् उसे वैधानिकता प्रदान करने की चेष्टाएँ भी करते रहते हैं।

अन्तर्राश्ट्रीय समुदाय एवं राज्य विशेष का प्रतिकार–आतंकवाद के संदर्भ में यह समीक्षा करना समीचीन होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एवं स्वयं व्यक्तिगत राज्यों ने इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? क्या ये उपचार पर्याप्त हैं? अथवा मात्र पलायनवादी हैं? इस संदर्भ में विद्वानों ने स्पष्ट विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति की है 1968 में न्यायमूर्ति ए0डी0 सोफर का मत निराशावादी है। उनका मत है कि आतंकवाद से निपटने वाले कानून त्रुटिपूर्ण, विपरीतार्थी होते हुए अपर्याप्त हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय सहमति का सकारात्मक अभाव स्पष्ट हो जाता है। सबसे दुखद तो यह है कि इन कानूनों ने आतंकवाद को वैध ाानिकता प्रदान करने का प्रयत्न किया है।

विधि–वेत्ता अण्टानियो कैसेस ने न्यायमूर्ति सोफर से असहमति व्यक्त करते हुए भी यह स्वीकार किया है कि आतंकवाद पर आज तक सामान्य सहमति का अभाव है और अभी भी इसकी 109 विभिन्न परिभाषाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं। यह तथ्य स्वयं ही यह स्पश्ट करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिकार के उपाय अपर्याप्त रहे हैं।[5] परन्तु उपयुक्त पक्ष के विरूद्ध यह तथ्य भी स्वीकार्य है, जिसके माध्यम से आतंकवाद के प्रतिकार के हेतु कतिपय सकारात्मक उपाय किए भी गए हैं। जैसे–अनेक राज्यों ने अपने नागरिक विधियों में आतंकवाद के स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। यूनाइटेड किंगडम प्रिवेंशन ऑफ टैररिज्म एक्ट, 1984 का सेक्सन 14(1) इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1972 से 1985 में सुरक्षा परिषद में भी आतंकवाद–विरोधी प्रस्ताव पारित किया था और इसकी भर्त्सना की थी। 1987 में महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव भी उल्लेखनीय है।[6]

वस्तुतः पूर्वी एवं पष्चिमी दृष्टिकोणों में आतंकवाद को लेकर वैचारिक तथा व्यावहारिक मतभेद अब भी बने हुए हैं। इसका कारण पष्चिम के अधिकांश देश विकासशील हैं, और वे कभी न कभी पूँजीवादी–साम्राज्यवाद की भावना के पोषक रहे हैं। इसके विपरीत पूर्वी देश अथवा तीसरी दुनिया के देश किसी न किसी रूप में शोषित, दमित, उत्पीड़ित एवं दासत्व की स्थिति में रहे हैं। अतः मतभेद स्वाभाविक है और रहेगा। परन्तु यह सत्य निर्विवाद रूप से सुस्थापित हो चुका है कि आतंकवाद विश्वव्यापी हो गया है और इसका उपचार खोजना ही नहीं, अपितु उन्हें क्रियान्वित करना ही होगा, अन्यथा विष्व–षान्ती, व्यवस्था, विकास एवं सुख–समषद्धि सम्भव न हो सकेगी।

धर्म–अर्थ, परिभाषा एवं आतंकवाद से सम्बन्ध–प्रतिपाद्य विषय का दूसरा भाग 'धर्म' है। अतः धर्म का वास्तविक अर्थ,

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

व्याख्या एवं स्वरूप को प्रकाशित करना ही समीचीन है। वस्तुतः 'धर्म' शब्द 'धृञ' धातु से उत्पन्न है, जिसमें 'मन' प्रत्यय लगाकर धर्म शब्द को बनाया गया है। इस प्रकार धर्म शब्द का धातुगत अर्थ है– 'धारण करना' अर्थात् 'धारयतीति धर्मः'। दूसरे शब्दों में, जो धारणीय है, वही धर्म है। इस धर्म शब्द को तीन प्रकार से स्पष्ट किया गया है– (क) 'ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः' (जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाता है; वह धर्म है।) (ख) 'धरति धारयति वा लोकम्' (जो लोक को धारण करता है वह धर्म है।) (ग) ध्रियते मः सः धर्मः (जो दूसरों के द्वारा धारण किया जाता है वह धर्म है।) धर्म शब्द के विवेचन से स्पष्ट है कि जिस पदार्थ अथवा वस्तु का जो गुण विशेष है, उसे ही धारण करना अथवा उसका अनुसरण करना ही धर्म है। जैसे–कान का गुण सुश्रवण, आँख का गुण विमल दृष्टि तथा अग्नि का गुण ऊष्मा का ज्वलनशीलता है। इसके द्वारा इन्हीं विशिष्टताओं को धारण करना इनका धर्म है। इस प्रकार धर्म 'सत्' के अर्थ का द्योतक है, यह सम्पूर्ण विश्व का सत है, प्राणन् शक्ति है। धर्म जीवन का सत्य, उन्नायक एवं सम्पोषक तत्व है। इसी संदर्भ में ऋग्वेद में 'ऋत्' शब्द आया है, जिसका अर्थ नैतिक व्यवस्था से है और कालांतर में यही कर्तव्यमीमांशा के रूप में विकसित हुआ है और इस धर्म के नाम से जाना गया है। संक्षेप में धर्म का आशय नैतिक व्यवस्था अथवा वास्तविक प्रकृति के अनुसार अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से पूर्णता से अनुपालन करना है।[7]

धर्म के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानव–जाति का धर्म मानवता है और यह मानवता संस्कृति का पर्याय है। इस प्रकार मानव कल्याण हेतु परिष्कृत तथा परिमार्जित अन्तर्वृत्ति के सामाजिक संस्करण को ही संस्कृति कहते हैं। इन्द्रिय संवेदनाओं की दृष्टि से मनुष्य एवं पशु में अनेक समानताएँ हैं : 'आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आदि। परन्तु धर्म ही वह तत्व है, जिसके कारण मनुष्य पशु से भिन्न होता है। धर्म विचारशीलता है विवेकशीलता है, जो मनुष्य को पशु से उच्चतर सिद्ध करती है। यही ज्ञान का उत्स है, प्रज्ञा का प्रतीक है एवं नैतिक नियम ऋतुंबरा के अर्थ का द्योतक है। इस प्रकार धर्म तथा दर्शन (विचारशीलता) का अनुसरण करके ही मनुष्य सुसंकृत बनता है और मनुष्यत्व का साक्षात्कार करता है। संक्षेप में धर्म ही मानव–आत्मा को रचस्थ बनाते हुए उसे उच्चतर नैतिक मूल्यों (सद्गुणों) की प्राप्ति में सहायक होता है।

प्रश्न स्वाभाविक है कि धर्म की उपर्युक्त वाख्या से आतंकवाद का क्या सम्बन्ध हो सकता है? हमारा उत्तर नकारात्मक है। वस्तुतः वास्तविक धर्म से, चाहे जो भी धर्म हो, किसी भी प्रकार से आतंकवाद का दूर–दूर तक का कोई रिष्ता नहीं है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि यदि धर्म से आतंकवाद सम्बन्धित नहीं है। तो इसे धर्म से जोड़ा क्यों जाता है? प्रत्येक धर्म में विभिन्न सम्प्रदाय (मजहब) होते हैं। जैसे सनातन धर्म में वैश्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध आदि। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी षिया सुन्नी, बहावी, अहमदिया, आदि और इसाई धर्म में कैथोलिक, प्रोटेस्टैण्ट आदि हैं। क्या आतंकवाद का सम्बन्ध किसी ध र्म के किसी मजहब विशेष (सम्प्रदाय) से है? इस विषय पर भी हमारा उत्तर नकारात्मक ही है, क्योंकि कोई भी धर्म, सम्प्रदाय अथवा मजहब हिंसा, हत्या, सम्पत्ति के अपहरण की स्वीकृति नहीं देता है, वह भी निर्दोश व्यक्तियों के। आतंकवाद का मूलाध ार हिंसा, हत्या, सम्पत्ति–अपहरण तथा अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर निहित स्वार्थों की पूर्ति करना है, परन्तु इसे नाम 'जेहाद' (धर्म–युद्ध) का इसलिए दिया जाता है इससे समूह विशेष, वर्ग विशेष अथवा धर्म विशेष के ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाय, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप में अनभिज्ञ है, अशिक्षित है, अज्ञान के अन्धकार में रहते हुए दीन–हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अथवा ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त करना है, जो कठमुल्लापन, कट्टरता के समर्थक हैं और भावनाओं में बहक जाने वाले व्यक्ति है; जिनमें विवेकशीलता का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार आतंकवाद धर्म के नाम पर एक पाखण्ड, अन्ध ाविश्वास, आडम्बर एवं अज्ञान का आवरण मात्र है। 'पाक कुरान मजीद के किसी भी आयत' अथवा 'सूरा' में आतंकवाद का समर्थन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से ईसाईयों के धर्मशास्त्र (बाईबिल) में भी किसी भी रूप में हिंसा, अन्याय, अत्याचार, अशांति, अव्यवस्था को, जो आतंकवाद की विशेषताएँ हैं, प्रश्रय प्राप्त नहीं है; और न हिन्दू धर्म मे ही।

आतंकवाद के प्रतिकार के उपाय–उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में आतंकवाद एक वैश्विक अन्तहीन बीमारी का रूप धारण कर चुका है, जिसे विश्व–मानवता अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकती। यद्यपि इसे समूल समाप्त करना, विशेषतः वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बड़ा ही दुष्कर प्रतीत होता है, तथापि पलायनवाद भी हितकर नहीं है। अतः मेरी अपनी धारणा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास करना वांछनीय होगाः–

(क) प्रथमतया, विश्व के सभी प्रमुख धर्मशास्त्रियों द्वारा यह सतत् प्रयास किया जाना चाहिए कि वे अपने–अपने धर्म के विषय में जन सामान्य को वास्तविक ज्ञान से अवगत कराएँ। यह कार्य निरन्तर तथा अवाध गति से तटस्थ एवं निष्पक्षता पूर्वक होना चाहिए, जिससे कि धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ लोगों का मार्गदर्शन होता रहे और आतंकवाद जैसी बुराई का किसी प्रकार से समर्थन न करे।

(ख) द्वितीयतः, विश्व के समस्त राज्यों, विशेषतः तथा कथित महाशक्तियों को एक स्वर से, बिना किसी भेद–भाव के आतंकवाद

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

को सुनिश्चित रूप से परिभाषित एवं व्याख्यायित करना चाहिए, जिससे आतंकवाद की पहचान सुगमता से हो सके और कोई भी उसे नकार न सके तथा उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास न कर सके।

(ग) तष्तीयकः, विश्व के ख्याति–प्राप्त न्यायविदों तथा विधि–वेत्ताओं के परामर्श से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पुनः समीक्षा कर उसे संहिताबद्ध करते हुए स्पश्ट, सुनिश्चित, सरल एवं बोधगम्य बनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय विधियों को बाध्यकारी शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था अनिवार्य होना चाहिए कि कोई भी राज्य उनका उल्लंघन न कर सके।

(घ) पूर्व तथा पश्चिम, अविकसित, अविकासशील एवं विकसित राज्यों को अपने पारस्परिक मतभेदों को समाप्त करते हुए अपने राष्ट्रीय एवं आर्थिक हितों की सीमा भी निर्धारित करनी होगी, अन्यथा महत्वाकांक्षी, वर्चस्ववादी, विस्तारवाद को रोकना सम्भव न होगा, जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है।

(ड़) उल्लेखनीय है कि वर्तमान युग वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के दौर से गुजर रहा है। इसके फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय बड़ी–बड़ी औद्योगिक कम्पनियों का विस्तार एवं प्रचार–प्रसार हो रहा है। ये कम्पनियाँ अपने साथ औद्योगिक तथा आर्थिक साम्राज्य ही नहीं लाएँगी, अपितु अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा, जीवनशैली का साम्राज्य भी अन्य राज्यों में स्थापित करेंगी। इसके फलस्वरूप सम्पन्न एवं विपन्न वर्गों के बीच बहुत बड़ा अन्तर हो जाएगा और इससे शोषण, दमन एवं उत्पीड़न बढ़ेगा, जो आतंकवाद के प्रमुख कारक हैं। भारत का इतिहास साक्षी है कि एक ईस्ट इण्डिया व्यापारिक कम्पनी ने किस प्रकार हमें दो सौ वर्षों तक दासत्व में जीने को बाध्य कर दिया था, तो आज की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ क्यों नहीं कर सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दुष्परिणाम को सोचना–समझना होगा और इससे परिणाम का विकल्प भी खोजना होगा।

(च) प्रत्येक राज्य में तकनीकी विकास के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के विनाशकारी अस्त्र–शस्त्रों का जखीरा होता जा रहा है। जो राज्य ऐसे अस्त्र–शस्त्रों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वे उन्नतशील राज्यों से इनकी खरीद–फरोक्त करते हैं। इस प्रकार अस्त्र–शस्त्रों के क्रय–विक्रय की प्रतिस्पर्धा चल रही है। अतः वांछनीय यह होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसी संस्था की स्थापना की जाय, जिसकी अनुमति के बिना विश्व के विभिन्न राज्य अस्त्र–शस्त्रों का क्रय–विक्रय न कर सकें।

(छ) अन्त में, यह भी समीचीन प्रतीत होता है प्रत्येक राज्य, विशेषतः विकासशील तथा विकसित, राज्यों के प्रतिरक्षा बजट की वास्तविक प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रेषित की जानी चाहिए, जिससे वह विकास की अपेक्षा प्रतिरक्षा–व्यय की समीक्षा करे और उसे यह अधिकार भी प्राप्त हो कि कटौती कर सके। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र के परिपत्र में संशोधन तथा सुरक्षा परिषद का विस्तार इस प्रकार से करना चाहिए कि यह संस्था वास्तविक रूप में विश्व का प्रतिनिधि हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गैरोला वाचास्पति : कौटिलीय अर्थशास्त्र, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, 1983.
2. मैकियावली निकोलस : 'द प्रिन्स एण्ड डिस्कोर्सेज', पेपर बैक एडिसन, 1910 लन्दन.
3. फड़िया डॉ0 बी0एल0 : आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2002.
4. आनन्द वी0के0 : 'टेररिज्म एण्ड सेक्योरिटी'.
5. कैसेस ऐण्टॉनियो : टेररिज्म, पॉलिटिक्स एण्ड लॉ, पॉलिटी प्रेस, 1889, पृ0 1–16 तथा 126–146.
6. सहगल मेजर जंनल विनोद : 'अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद', प्रभात प्रकारूशन, दिल्ली पृ0–130.
7. पाण्डेय डॉ0 दुर्गादत्त : 'धर्म–दर्शन का सर्वेक्षण'.
8. खंडेला मानचन्द्र : 'अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद', अविष्कार पब्लिशर्स डिस्टीव्यूटर्स राजस्थान, 2002.
9. अमर उजाला, आगरा, रविवार, 09 जनवरी–2009 में प्रकाशित लेख से उद्धृत.

*****